11\ 27-12-2010

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543876

1

माँ भगवता कुँवर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान

न्याय विलेख (Instruction of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 27.12.2010 को ग्राम जमुवॉं,पो0–हड़ौरा,आजमगढ़ में श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह ग्राम–जमुवॉं ,पोस्ट–हड़ौरा,विकास खण्ड– 'तरवां,तहसील – मेहनगर,जिला–आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया।

जिस न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5100/(पॉच हजार एक सौ रुपये मात्र की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ सामाजिक कार्यों हेतु दान की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट **माँ भगवता कुँवर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा,जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान,उपकार,ऋण, आदि भी सम्मिलित है,जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देशयों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यायसकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5100/–रु0 (पॉच हजार एक सौ रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–जमुवां ,पोस्ट–हड़ौरा,विकास खण्ड–तरवां,तहसील–मेहनगर,जिला–आजमगढ़ उत्तर प्रदेश रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम जमुवां पोस्ट–हड़ौरा वि0ख0–तरवां,तहसील–मेहनगर,जिला–आजमगढ़ उ0प्र0 होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देशयों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

अजय कुमार सिंह

क्रमशः 2

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 543877

2

मॉ भगवता कुँवर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देशय नियमावली –

ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1– बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला ,जूनियर हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट कालेज ,महाविद्यालय,पुस्तकालयों,वाचनालयों,प्रयोगशालाओं,चिकित्सालयों,अनाथालयों,वृद्धाआश्रमों ,अनुसंधान केन्द्रों ,छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों,निराश्रित केन्द्रों सर्वेक्षण केन्द्र,पालिटेक्निक एवं इन्जियरिंग कालेज, ,सामुदायिक विकास केन्द्रों ,पर्यावरण ,एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना,नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध,प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।

2– ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।

3– खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

4– कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।

5– उद्यानीकरण एवं जगलजात का विकास करना।

6– महिला एवं बाल बिकास ,एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।

7– प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

8– कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9– केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन,समाज कल्याण ,नाबार्ड,कपार्ट,सामाजिक न्याय, एवं अधिकारिता मंत्रालय ,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण ,नेहरु युवा केन्द्र,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय ,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

क्रमशः 3

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH W 543878

10– आई0आई0टी0,आइ0टी0आई0फार्मेसी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन,टेक्निशियन लैब,टेक्निशियन, फिजीयोंथीरैपी,आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11– समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम, स्वास्थ केन्द्र,मेडिकल स्टोर, जनलर स्टोर,किराना स्टोर की दुकान फोटो स्टेट,टाईपिंग,कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12– पुस्तकालय,वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13– अंधे,गूँगे,बहरे,असहाय लोगों के लिए दीक्षा चिकित्सा,आवास,भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

14– विभिन्न विषयों एवं पाठयक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला ,वाणिज्यिक वैज्ञानिक,कीड़ा मार्शल आर्ट,संगीत,तकनीकी,सामाजिक,आधुनिक,भाषा,अंग्रेजी,उर्दू,कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15– विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन ,अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

16– पुस्तकों साहित्य पत्र पाठयक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन ,मुद्रण आदि कर सकना।

17– सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम,एड्स कार्यक्रम अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं ,बैठकें ,विशेष कक्षायें सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

18– सिलाई ,कढ़ाई, बुनाई,स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19– व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों,महाविद्यालयों,मेडिकल कालेजों,विधि महाविद्यालयों ,इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनकों इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

क्रमशः 4

अजय कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 543879

20– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय,व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ,संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

21– विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार–प्रसार कर सकना।

22– आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।

23– कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार –प्रसार कर सकना।

24– पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

25– एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।

26– पुस्तक,पुस्तिकाएं,पत्र,पत्रिकाएं समाचार पत्र आदि को प्रकाशित सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना।

27– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवायें वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

28– पत्राचार द्वारा अध्यापन अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना।

29– उपभोगता अधिकार ,पर्यावरण ,सुधार उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्वों के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

30– धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।

31– जनकल्याण हेतु विधिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना।

32– विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता,स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

कमशः– 5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543880

33– विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों .प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

34– ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना .विनियोजित करना,तथा उस ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रवेश करना।

35– ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडण्जा तालाबों का निर्माण,मछली पालन,पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार–प्रसार कर सकना।

36– ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

37– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही व्यय करेगा।

38– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीक्लिनिक का निर्माण करना।

39– उद्देश्यों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना,फल एवं औषधि व खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

40– संगठन को मजबूत एंव कियाशील बनाने के लिये जिला प्रदेश स्तर पर देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।

41– दलित ,पिछडों, अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर राजनैतिक स्तर आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना।

कमशः 5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543881

42– धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी सम्मेलन सेमिनार,वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाना।

43– शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हास्टलों का निर्माण करना।

44– संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम किया कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्यप्रणाली को विकसित करना।

प्रारम्भिक उप बंध–

1– वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से अजय कुमार सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट का मैंनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2– यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैंनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष अजय कुमार सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो अजय कुमार सिंह की मृत्यु के पश्चात राजा उत्तम प्रताप सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे यदि अजय कुमार सिंह के लड़के बालिग न हो तो राहुल कुमार पुत्र तेज बहादुर सिंह इस ट्रस्ट की तब तक मैंनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष होंगी जब तक कि राजा उत्तम प्रताप सिंह कानूनी रुप से बालिग न हो जाएं।

3– वर्तमान मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तानान्तरण।

1– मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैंनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

क्रमशः 7

अजय कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543882

2– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3– किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया।

4– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रुप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रुप से मान्य होगी।

6– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रुप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा।

7– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रुप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।

8– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकार को दिया गया कार्यभार हस्तानान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा। क्रमशः 8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543883

(4) <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u> – पद का उत्तराधिकारी / हस्तानान्तरण

1– तेज बहादुर सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह
2– रामबहादुर सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह
3– आशा सिंह पुत्री जगदम्बा सिंह
4– राहुल कुमार सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह
5– रोहित कुमार सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह
6– गौरव कुमार सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह
7– सौरभ सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह
8– दीपक सिह युवराज पुत्र शिवाजी सिंह
9– शिवाजी सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह
10– इन्दु सिंह पुत्री रामाश्रय सिंह
11– मंजु सिंह पुत्री जगदम्बा सिंह
12– मीरा सिंह पत्नी अजय सिंह
13– बीना सिंह पत्नी फतेहबहादुर सिंह
14– शशि सिंह पत्नी स्व0 अखिलेश सिंह
15– बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य तेज बहादुर सिह ,राम बहादुर सिंह ,शिवाजी सिंह के पुत्रगण बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के आजीवन ट्रस्टी के सदस्य होंगे एवं उत्तराधिकारी होंगे

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष यदि उचित समझें तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज के पदाधिकारी / उपाध्यक्ष / सचिव / उप सचिव का गठन कर सकता है। जिसमें अधिकतम् सम्पूर्ण संख्या 21 हो।

क्रमशः 9

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 543884

2– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्य समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता हैं।

3– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक कर सकता है इसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4– यह कि बोर्ड ऑफ स्टडीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5– यह कि बोर्ड ऑफ स्टडीज किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) **(अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं)**

1– यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।

2– यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) **कार्य क्षेत्र** :– ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

क्रमशः 10

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543885

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :–

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक सचिवों की नियुक्ति कर सकता है।

2– यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा।

3– यह कि उक्त सचिव/उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताएं उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक ,विधिक/आवश्यकतानुसार,अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता हैं।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिये एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।

कमशः 11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543886

2– यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3– यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता हैं अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरित प्रदान कर सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

क) बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढग से देख रेख करने के लिये उपाध्यक्ष सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति करना।

ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन करा सकना की रजिस्ट्रार के यहॉं रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

11– उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थित में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताए गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:–

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रुप से कार्यरत एवं उत्तदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है।

क्रमशः 12

अजय कुमार सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 543887

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2– ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु नियुक्ति,पदमुक्त तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक /प्रशंसनात्मक कार्यवाही करना।
4– विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु ,कोष्ठों/विभाग केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उसके संयोजकों/निदेशकों ,पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5– ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6– एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7– प्रचार–प्रसार/मुद्रण /प्रकशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8– जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को करना।

(13) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1– सचिव की अनुपस्थित में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2– सचिव द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रुप से प्राप्त है।
3– सचिव द्वारा लिखित रुप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

कमशः 13

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH W 543888

(14) बैंक एकाउण्ट

1– ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत ,खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से पृथक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही :–

यदि संस्था/ट्रस्ट के तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी:–

ट्रस्ट चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

2– ट्रस्ट चल की ओर से चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

कमशः 14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 485683

3– ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4– ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है,ले सकता है।

5– ट्रस्ट किसी से ऋण दान,उपहार,आग्रह भेंट सम्मान पुरस्कार,स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।

6– ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7– चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूत ,भाड़ा क्रय /अनुज्ञप्ति/बंधक भारिती गिरवी ,विभाजित आदि कर सकता है ले सकता है दे सकता है।

(17) विशेषः–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम ईकाई कार्यालय/संस्था क्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उप नियम बनायें जा सकते हैं। परन्तु वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट माँ भगवता कुँवर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान के उद्देश्य एंव नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उप नियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझें तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए

अदीप कुमार

क्रमशः 15

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 485684

भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस समबन्ध में अध्यक्ष का विवके व्यवस्था ही अन्तिम होगी इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। माँ भगवता कुँवर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान जमुवां,पोस्ट–हडौरा तहसील–मेहनगर,जनपद–आजमगढ़ के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित घोषित,स्वीकृत आत्मार्पित एंव तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थित में हस्ताक्षर कर दियें है।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 01AB 251538

साक्षीगण –

नाम:– मनोज कुमार [illegible]

पता :– ग्रा० [illegible] उमापुर [illegible]

अजय कुमार सिंह

संस्थापक / अध्यक्ष

माँ भगवती कुँवर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान,

जमुवां,पोस्ट–हड़ौरा,तहसील–मेंहनगर,आजमगढ़।

साक्षीगण – अरविन्द [illegible]

पो० गोपालपुर [illegible] मेंहनगर

नाम:–

पता

मसविदाकर्ता

मनोज कुमार [illegible]

अजय कुमार सिंह

दिनांक 27/12/2010

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32 ए0 के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता:- अजय कुमार सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह सा- जमुआँ पो. हड़ौरा परगना निजामाबाद तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

अजय कुमार सिंह

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता:-

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

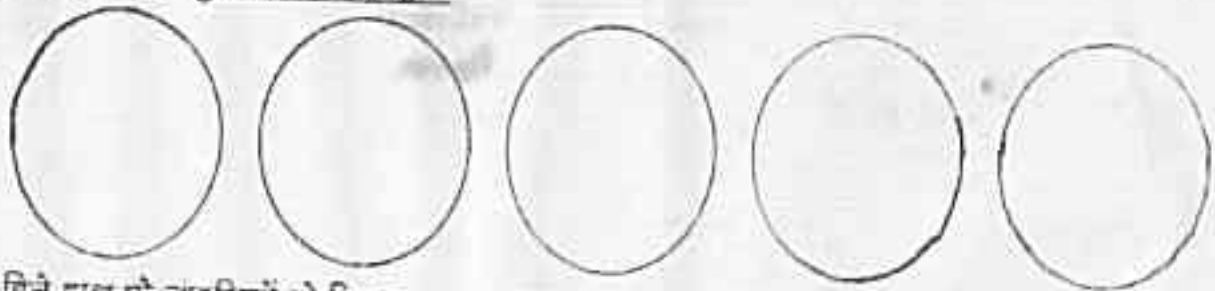

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

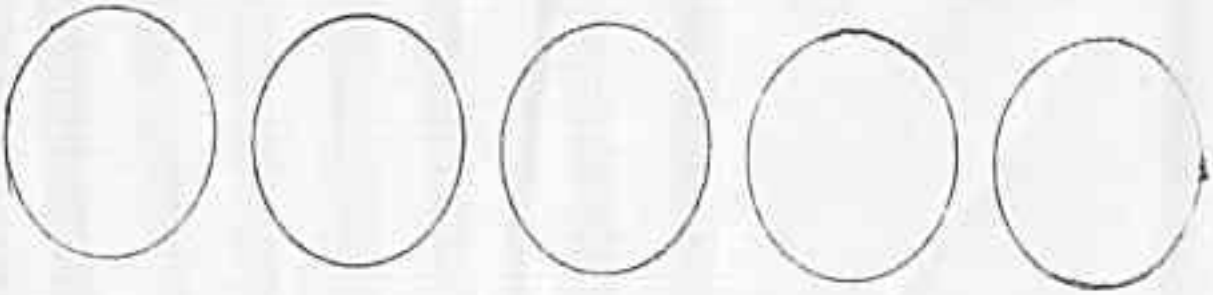

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

बही पृष्ठ सं० .... 2 .... से पृष्ठ

381/... क्रमांक सं० 11 .... पर दिनांक 27-12-18

को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उपनिबंधक
ठिनुमना